राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 208/2016

सुखराम कालमा –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से गत तारिख पेशियों पर कोई उपस्थित नहीं हुआ था। प्रकरण पुराना है, इस कारण से पत्रावली में उपस्थित तथ्यों के आधार पर इस अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियो के विरूद्ध प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाए। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आज अधिवक्ता ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 09.02.2023 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें रिव्यू बैठक दिनांक 01.12.2022 एवं दिनांक 21.12.2022 के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी को चयन वर्ष 2011–12 के विरूद्ध प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा के पद पर चयन किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त कार्यालय आदेश जारी होने से अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे प्राप्त हो गया है।
3. हमारे विचार में चूंकि यह अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा द्वारा रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। परिणामस्वरूप अपील सारहीन हो जाने से अपील खारिज की जाती है।
4. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)